

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा. /जोन-जयपुर/2023/228 दिनांक:- 14/3/23

आदेश

श्रीमति आशा पांडेय, नर्सिंग ऑफीसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखावास जयपुर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर, जयपुर विदेश यात्रा (दुबई) जाने हेतु दिनांक 15.03.2023 से 24.03.2023 तक (10 दिवस) की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है-


1. कार्गिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्गिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /गुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
13/3/23

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा. /जोन-जयपुर/2023/ 228 दिनांक:- 14/3/23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर जयपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रा.स्वा. केन्द्र खोखावास, जयपुर।
5. आशा पांडेय, नर्सिंग ऑफीसर को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी
6. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
13/3/23